5.11.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। साक्ष्य पेश करने हेतु एक और अवसर चाहा गया। पूर्व में अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। अब साक्ष्य पेश करने हेतु एक और अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 6.11.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

6.11.2025 पत्रावली पेश। उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि भोगीलाल व तुलसीराम एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नतीजा शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 200/24
उनवान :– मांगीलाल बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–06.11.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः–	पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–	200/24
दायर दिनाँक :–	4.09.2024
निर्णय दिनाँकः–	06.11.2025
उनवान :–	मांगीलाल

बनाम

सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी मांगीलाल पिता गेंदालाल जाति लोधा निवासी किशनपुरिया उर्फ मोग्याबेह तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम किशनपुरिया उर्फ मोग्याबेह तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 29 (पुराना 29) की कुल किता 06 की 1.4164 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम ढाबा तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 133 (पुराना 125) की कुल किता 01 की 0.7527 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के शामिल खाते दर्ज रिकार्ड है।

वाद में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम "तुलसीराम पिता गेन्दा" दर्ज है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम "मांगीलाल पिता गेंदालाल" है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे वाद में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। वादीगण ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 200/24
उनवान :– मांगीलाल बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–06.11.2025

अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम किशनपुरिया उर्फ मोग्याबेह के उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम ''तुलसीराम पिता गेंदा'' के स्थान पर ''मांगीलाल पिता गेन्दालाल'' संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थीगण को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस वादपत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन एवं मनन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि मांगीलाल पिता गेंदालाल ही तुलसीराम पिता गेंदा है, जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा मांगीलाल पिता गेंदालाल को गलत तरीके से जमाबंदी में तुलसीराम पिता गेंदा दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,मनोहरथाना